International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 5, Issue 2, February 2018
Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा पर पढने वाला प्रभाव

डॉ.अषहर अहमद

सहा.प्राध्यापक

स्काई हाई कॉलेज, सिहोर

मानव प्रकृति की अद्भुत रचना होने के साथ–साथ बौद्धिक प्राणी भी है। जिसने अपने अस्तित्त्व के लिए अथक प्रयास किया और अपने आस–पास के वातावरण को अनुकूलन कर व्यावहारिक रूप से विकास की प्रक्रिया अपनायी। इस प्रकार मनुष्य ने अपने सीखने की प्रवृत्ति से स्वयं को विकसित किया और यही सीखने का सतत् प्रयास ही कालान्तर में शिक्षा कहलाया। यही शिक्षा ही उसे सामान्य प्राणी से सामाजिक प्राणी और सामान्य मानव से बौद्धिक मानव में परिणित करती है। वस्तुतः शिक्षा अपने परिष्कृत एवं शुद्ध रूप से मानव को विवेकशील बनाती है। इसी कारण मनुष्य को प्रकृति की सर्वोत्तम गौरव पूर्णकृति होने का गौरव प्राप्त है। मानव जीवन एवं मानव विकास में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसी को संदर्भित करते हुए पाश्चात्य विचारक अरस्तू ने कहा है कि– ''मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। इसीलिए व्यक्ति को समाज के लिए शिक्षित होना नितान्त आवश्यक है।''[1]

आज मनुष्य ने जिस असभ्य और बर्बर जीवन को त्यागकर जिस सभ्य और सुसंस्कृत जीवन को व्यतीत करना प्रारम्भ किया है वह वास्तव में शिक्षा की ही देन है। शिक्षा के अवदान के संदर्भ में जो बात समाज के घटक यथार्थ व्यक्ति के विकास को निरूपित करती है वही सम्यक समाज के सभ्यता और संस्कृति पर भी लागू होती है। शैक्षिक संरचना में प्राथमिक शिक्षा को एक आधारभूत कड़ी माना जाता है। इसी कारण प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर ही बालक–बालिकाओं में जीवन मूल्यों एवं संस्कारों की नींव पड़ती है और उनमें सामाजिकता एवं श्रेष्ठ नागरिकता के गुण विकसित होते हैं। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए स्वतन्त्रतोपरान्त गठित विभिन्न आयोगों एवं समितियों द्वारा उपयोगी सुझाव दिये गये। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु विभिन्न योजनाएँ

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

संचालित की गयी। 93वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग बालक–बालिकाओं के लिए कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। सम्पूर्ण भारत वर्ष में (जम्मू–कश्मीर को छोड़कर) 18 अप्रैल 2010 तथा मध्य प्रदेश में 01 जुलाई, 2011 से शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया। जिसके अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार तथा अभिभावकों को शिक्षा प्रदान कराना मौलिक कर्त्तव्य हो गया है।

शिक्षा के इस मौलिक अधिकार के अनुपालन में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु चल रही विभिन्न योजनाओं को समाहित करके सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। इसीलिए भारतीय शिक्षा नीति में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर सभी के लिए शिक्षा को केन्द्र में रखकर शिक्षा के विस्तार के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। देश में प्रारम्भ से ही यह प्रयास किया गया कि 06 से 14 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश दिलाया जा, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं का नामांकन जहाँ 1950–51 में केवल 42.6 प्रतिशत था वही वह 2011–2012 में 114.8 प्रतिशत हो गया है। बालक–बालिकाओं के नामांकन में हुई यह वृद्धि पिछले दशकों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार का परिणाम है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये गंभीर प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में साक्षरता दर पांच वर्ष के ऊपर बालक–बालिकाओं का प्रतिशत जो 1991 में 52.21 तथा 2001 में 72 प्रतिशत तथा 2011 में 87.5 प्रतिशत के करीब हो गया है। किन्तु दुःखद पहलू यह है कि इसमें बालिकाओं की साक्षरता दर 67 प्रतिशत तथा ग्रामीण बालिकाओं का साक्षरता दर मात्र 54.5 प्रतिशत ही हो पाया है। उच्च शिक्षा अर्जित करने वाली ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत तो बेहद ही कम करीब 1.5 प्रतिशत ही हो पाया है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहन करने हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्ति की कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिनमें गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, विक्रमादित्य योजना, अपनी बेटी और उसका कल, पढ़े–बेटी– बढ़े बेटी जैसी अनेकों योजनाओं को शिक्षा के उद्देश्यों को फलीभूत करने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में विस्तार के तमाम आंकड़ों के बावजूद आज भी भारत की साक्षरता दर तीसरी दुनिया के तमाम देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका एक प्रमुख कारण भारत में शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावशाली होना है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के चलते भी भारत के शैक्षिक कार्यक्रम उतने सफल नहीं हो पाते और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, खासतौर पर बालिकाएँ। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में अनेक सांस्कृतिक और परम्परावादी बाधाएँ हैं जो उन्हें आगे बढ़ने और पढ़ने से रोकती है।''[2]

आज भारत अपने 66वें वर्ष में दुनिया के सामने एक मिशाल प्रस्तुत करता दिखाई पड़ रहा है। अपने चर्तुमुखी विकास में कर्त्तव्यनिष्ठ सजग नागरिकों की भागीदारी के बल पर जहाँ हम हर क्षेत्र में अग्रणी बनने की होड़ में है वहीं आज भी हम कुछ क्षेत्रों में उतना आगे नहीं जा सके जहाँ पर जाना चाहिए था, जिसके लिए हमे बड़ा खेद है। यह आश्चर्य ही नहीं बल्कि चिन्ता का विषय है कि अभी तक हम अपनी प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा नहीं बना सके। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि हमारी साक्षरता का प्रतिशत मात्र 74.04 ही हो सका।

यद्यपि 2001 की जनगणना के मुकाबले 9.2 प्रतिशत की वृद्धि शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की गयी है। संविधान की धारा 45 के अनुसार संविधान को लागू किये जाने के समय से 10 वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करते निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी थी इस प्रकार यह लक्ष्य 1960 में ही पूर्ण कर लेनी चाहिए थी। परन्तु अनेकानेक कठिनाईयों एवं व्यवधानों के कारण यह लक्ष्य आज तक पूरा नहीं हो सका। जबकि मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र की 26वीं धारा, 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रत्येक मानव को शिक्षा पात्र करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक का मौलिक अधिकार बन गया है। इस प्रकार देखा जाय तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश के सारे बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा देने की व्यवस्था करे ताकि बच्चे अपनी बुनियादी हक पाकर श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाहन करें।[3]

प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः स्वतंत्रता पूर्व

प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा–प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। यह प्रथम सीढ़ी है जिसे पार करके ही राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। यह शिक्षा राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग है। प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय विचारधारा एवं चारित्रिक निर्माण की कुन्जी है। यह मानव विकास के समस्त उपादानों में सर्वोत्तम है। यह मानव मात्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। वैसे भी यह निर्विवाद तथ्य है कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा में ही राष्ट्रीय प्रगति निहित है। प्राथमिक शिक्षा का पतन राष्ट्रीय पतन का संकेतक है। अतः प्रत्येक राष्ट्र के उत्थान के लिए इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। **स्वामी विवेकानन्द** का उद्‌बोधन इस संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है कि–मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय तक विफल रहेगी, जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत स्थान है। प्राथमिक शिक्षा की नींव पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति के भवन तथा बहुमंजिली इमारतों एव अट्टालिकाओं के रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति निर्भर करती है।[4]

प्राचीनकाल (वैदिक युग) में प्राथमिक शिक्षाः–

प्राचीनकाल में प्राथमिक शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। यह पारिवारिक परिधि से परे आश्रम एवं गुरुकुलों में सम्पन्न होती थी। सभी बालकों की प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश उपनयन संस्कार के बाद किया जाता था। इस संस्कार के उपरान्त बालक गुरू आश्रम में रहकर ही विद्या प्रारम्भ करते थे। धीरे–धीरे 'ब्राह्मणकाल' में इन आश्रमों के स्वरूप में परिवर्तन होने लगे। इस प्रकार 'गुरूकुलों' में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाने लगा। कालान्तर में इन गुरूकुलों के स्वरूप में भी परिवर्तन हुये जिससे ग्रामीण जनपदों में 'अग्रहारा' जैसी प्राथमिक शिक्षा की संस्थाएँ कार्य करने लगीं, किन्तु ये संस्थाएँ अधिक प्रचलित नहीं

हो पायीं। इस समय तक बालिकाओं की शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का प्रयास भविष्य के गर्भ में था। फिर भी प्राथमिक शिक्षा का यह समय स्वर्णिमकाल कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी तथा 'गुरु' अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वतंत्र रूप से इस शिक्षा का आवंटन करते थे। उस समय के धार्मिक समाज में प्राथमिक शिक्षा एक धार्मिक अनिवार्यता सी बन गई थी। गुरु की महानता एवं महत्ता सर्वोपरि थी जैसा कि संस्कृत साहित्य में उल्लेख किया गया है–

गुर्रुब्रह्मा, गुर्रुविष्णु, गुर्रुदेवो महेश्वरः।

गुरुहि साक्षात परमब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः।।

बौद्धकाल में प्राथमिक शिक्षाः–

ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी में वैदिक शिक्षा के अवसान के साथ ही बौद्ध शिक्षा का शुभारम्भ हो गया था। **डॉ0 केई (Keay) के अनुसार**– बौद्ध शिक्षा भारत में 1500 वर्षों से अधिक समय तक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जो ब्राह्मणकालीन शिक्षा व्यवस्था की प्रतिद्वन्द्वी थी, लेकिन अन्य सभी बातों में समरूप थी। बौद्धकाल में प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले थे। प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ 'प्रवज्या संस्कार' से होता था तथा यह षिक्षा बौद्ध गुरुओं द्वारा उनके मठों में प्रदान की जाती थी। बालक लगभग 7 वर्ष की आयु तक 'सिद्धरस्तु' बालपोथी का अध्ययन करते थे। 16 माह के उपरान्त इन छात्रों को शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, षिल्प विद्या एवं अध्यात्म विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता था। इस प्रकार बौद्धकालीन प्राथमिक षिक्षा लौकिक जगत् की आवष्यकताओं के अनुकूल थी तथा पारलौकिक जगत् के लिए तैयार करती थी। इस काल में बालिकाओं को शिक्षित करने का अल्प प्रयास शुरू होना प्रारम्भ हो गया था।

मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षाः–

भारत में मध्यकाल की षिक्षा पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव रहा है। इस संदर्भ में केई महोदय ने लिखा है– ''मुस्लिम षिक्षा विदेषी प्रणाली पर आधारित थी। भारत में इसका प्रतिरोपण ब्राह्मणीय षिक्षा से पृथक था। भारत में इस षिक्षा प्रणाली को विकसित करने का प्रयास मुस्लिम शासकों तथा मौलवियों द्वारा किया गया।

मध्यकाल में प्राथमिक षिक्षा प्रायः मकतवों में प्रदान की जाती थी। इनके अतिरिक्त इस षिक्षा का प्रबंध दरगाहों एवं खानकाहों में भी किया गया था। छात्रों का विद्याध्ययन 'बिसिमिल्लाह' संस्कार से होता था। इन केन्द्रों पर छात्रों को पढ़ना, लिखना, सामान्य अंकगणित की षिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर व्यावहारिक षिक्षा के रूप में वार्तालाप करने के ढंग, सुलेख, पत्र लेखन जैसी कलाएँ भी सिखाई जाती थीं। इस काल में बालिका शिक्षा के पूर्व सारे प्रयास जमींदोज कर दिये गये थे।

ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षाः–

यूरोप के व्यापारियों के साथ ही ईसाई मिषनरियों ने भारत में प्राथमिक षिक्षा का सूत्रपात किया। इन मिषनरियों ने प्राथमिक षिक्षा के संस्थानों की स्थापना की तथा भारत में पाष्चात्य षिक्षा की नींव डाली। इन लोगों ने अनेक धर्मार्थ विद्यालयों की भी स्थापना की जहाँ पर बालकों को निःषुल्क भोजन, कपड़े तथा पुस्तकें प्रदान की जाती थीं। अंग्रेज मिषनरी ईस्ट इंडिया कम्पनी के कर्मचारियों को निःषुल्क षिक्षा प्रदान करते थे।

डॉ0 **नुरूतल्ला** एवं **नायक** के अनुसार, मिषनरियों और उनके मित्रों ने धर्म प्रचार में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देष्य से इंग्लैण्ड में आन्दोलन प्रारम्भ किया। आन्दोलन प्रारम्भ करने वालों में चार्ल्स ग्राण्ट का नाम सर्वोपरि था।

चार्ल्स ग्राण्ट ने अपनी पुस्तक में भारतीय षिक्षा के संदर्भ में विचार व्यक्त किया है– हिन्दू इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उनमें अज्ञानता है और उनको उनकी कमियाँ कभी नहीं बताई गयी हैं। इन सभी योगदानों के लिए चार्ल्स ग्राण्ट को भारत में आधुनिक षिक्षा का जन्मदाता माना जाता है।[5]

सन् 1775 ई0 में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भारत में अंग्रेज ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नींव सुदृढ़ होने लगी। इसके पहले 19वीं शताब्दी के पूर्व भारत में हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बच्चों को षिक्षा प्रदान करने के लिए पाठषालाओं तथा मकतबों की संख्या बहुत अधिक थी। प्रसिद्ध इतिहासकार **मिल** (Mill) के अनुसार सन् 1822 ई0 में मद्रास के प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हो गई थी। बम्बई के गर्वनर कौंसिल के सदस्य **प्रेंडरगस्ट** (Prendergast) के अनुसार सन् 1832 में बम्बई का ऐसा कोई गांव नहीं था, जिसमें कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित न हो। एडम के प्रथम प्रतिवेदन के आधार पर **ए0एन0 बसु** (A.N. Basu) ने अंकित किया है कि मात्र बंगाल में सन् 1835 के आस–पास एक लाख प्राथमिक विद्यालय स्थापित थे। उत्तरी पष्चिमी प्रान्त (उत्तर प्रदेष) की सरकार की 1843 की रिपोर्ट के अनुसार बहुत से गांवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सन् 1757 से सन् 1858 के बीच 100 वर्षों के शासन–काल में उच्च षिक्षा की स्थापना पर विषेष ध्यान दिया गया, जबकि प्राथमिक विद्यालय की स्थापना पर कोई विषेष ध्यान नहीं दिया गया। मात्र अंग्रेज शासक (भारत के गवर्नर–जनरल) **लॉर्ड डलहौजी** (Lord Dalhousie) ने सन् 1854 में बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की तथा भारतीय माध्यमिक षिक्षा के जन्मदाता तथा पष्चिमोत्तर प्रान्त के गवर्नर जेम्स थॉमसन के प्रयास से सन् 1851 ई0 में स्थापित 'हल्काबन्दी स्कूलों की प्रणाली' (Circle-School System) के अन्तर्गत इस प्रान्त में अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई।

नवम्बर, 1858 में ब्रिटिष पार्लियामेन्ट ने 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' के शासन को समाप्त कर रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। नये शासन–काल के अन्तर्गत लॉर्ड स्टैनले (Lord Stanley) ने भारत के सचिव (Secretary of State for India) के रूप कार्य करते हुए सन् 1859 ई0 में

भारतीय षिक्षा के सम्बन्ध में एक 'आदेष–पत्र निर्गत किया, जिसे **'स्टैनले का आदेष–पत्र'** के रूप में जाना जाता है। **'आदेष–पत्र'** में प्राथमिक षिक्षा का उत्तरदायित्व भारत सरकार को सौंपा गया तथा प्राथमिक षिक्षा के व्यय की पूर्ति के लिए स्थानीय कर लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस प्रकार ब्रिटिष पार्लियामेन्ट के शासन–काल के प्रारम्भिक वर्षों में प्राथमिक षिक्षा के प्रति उदारता बरती गई, लेकिन बाद में इसे सन् 1882 ई0 में स्थानीय निकायों को सौंपकर सरकार ने प्राथमिक षिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उपस्थित नहीं किया। फलतः प्राथमिक षिक्षा की प्रगति अवरुद्ध होने लगी। सन् 1904 ई0 में षिक्षा–नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि–सम्पूर्ण जनसंख्या के 15 प्रतिशत बच्चों में से मात्र छठवें भाग से कुछ ही अधिक को प्राथमिक षिक्षा प्राप्त हो रही है। हाल के वर्षों में प्राथमिक षिक्षा की प्रगति अवरुद्ध हो गई है। भारत सरकार इस निष्कर्ष की उपेक्षा नहीं कर सकती है कि प्राथमिक षिक्षा को इस समय तक उसका अपर्याप्त धन और ध्यान प्राप्त हो सका था।[6]

बीसवीं सदी के अंतिम चरण में प्राथमिक षिक्षा ने एक जन आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। प्राथमिक षिक्षा के इस आन्दोलन में प्राण फूँकने का कार्य सुविख्यात नरेष महाराज सयाजीराव गायकवाड़ एवं कर्पण समाजसेवी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया।

बड़ौदा नरेश का प्रयासः–

बीसवीं सदी के प्रथम दषक में बम्बई में सर चिमन लाल और सर इब्राहीम रहीमतुल्ला ने अपने प्रान्त में प्राथमिक षिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सरकार से प्रभावी ढंग से माँग की, किन्तु इस समिति का यह प्रस्ताव सन् 1906 में सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस कार्य को साकार स्वरूप प्रदान किया बड़ौदा नरेष महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने। सन् 1893 में उन्होंने बड़ौदा राज्य के अमरेली ताल्लुका में प्राथमिक षिक्षा की व्यापक योजना लागू की। उन्होंने 7–10 वर्ष की आयु की समस्त बालिकाओं के लिए प्राथमिक षिक्षा को निःषुल्क एवं अनिवार्य बना दिया।

गोखले का प्रस्ताव (सन् 1910):–

बड़ौदा नरेष के इस प्रयोग से प्रभावित होकर श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने केन्द्रीय धारा सभा (Imperial Legislative Assembly) के सदस्य के रूप में सरकार से अनिवार्य प्राथमिक षिक्षा के संकल्प को पुनः दोहराया। गोखले ने अपने प्रस्ताव में कहा था– यह सभा सिफारिष करती है कि सम्पूर्ण देष में प्राथमिक षिक्षा को निःषुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय और इस विषय में निष्चित प्रस्तावों का निर्माण करने के लिए सरकारी/गैरसरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए।

सन् 1911 में गोखले ने केन्द्रीय धारा सभा के समक्ष प्राथमिक षिक्षा संबंधी विधेयक (Bill) पेष किया। यह विधेयक यद्यपि पारित नहीं हो सका, किन्तु आगामी समय में प्राथमिक षिक्षा के विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ।[7]

अनिवार्य शिक्षा का प्रसारः–

गोखले का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका लेकिन उनका प्रस्ताव षिक्षा की अनिवार्यता के लिए दिषा–निर्देषक के रूप में कार्य किया। फलतः सन् 1918 से 1920 के दो वर्षों की अल्पाअवधि में भारत के सात प्रान्तों (i) बम्बई, 1919, (ii) पंजाब, 1919, (iii) संयुक्त प्रान्त, 1919, (iv) बंगाल, 1919, (v) बिहार तथा उड़ीसा, 1919, (vi) मध्य प्रान्त, 1920, (vii) मद्रास, 1920, में अनिवार्य प्राथमिक षिक्षा अधिनियम पारित कर दिये गये।

सन् 1905 से सन् 1921 ई0 तक देषव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप अनिवार्य प्राथमिक षिक्षा के विस्तार की गति क्रमषः तीव्रतर होती गई। सन् 1927 ई0 में आयोजित **'अखिल भारतीय महिला षिक्षा सम्मेलन'** में महिलाओं ने पुरुषों के समान षिक्षा–प्राप्ति की मांग की। **महात्मा गांधी** तथा **डॉ0 अम्बेडकर** के सतत् प्रयासों से हरिजन भी षिक्षा–प्राप्ति के लिए आकृष्ट हुए। सन् 1921 ई0 में प्रान्तों में स्वषासन के प्रारम्भ होने से षिक्षा को अनिवार्य बनाने में अधिक सफलता प्राप्त हुई।

सन् 1932 से सन् 1937 के मध्य विश्वव्यापी आर्थिक अवसर की अवधि होने के कारण प्राथमिक अनिवार्य षिक्षा की गति मन्द हो गई। इसके साथ ही साथ **'हर्टाग समिति'** (1929) ने भी प्राथमिक षिक्षा की संख्यात्मक वृद्धि पर रोक लगा दी तथा गुणात्मक उन्नति पर अपना सुझाव प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप, निम्न स्तर के प्राथमिक विद्यालय बन्द कर दिये गये।

सन् 1935 के 'भारत सरकार अधिनियम' के अनुसार प्रान्तों में स्वषासन की स्थापना हुई। कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने छः प्रान्तों में प्राथमिक षिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। फलतः प्राथमिक षिक्षा पुनः अवरोधमुक्त होकर विकासोन्मुख होने लगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कौल वी0एन0 सिंह, बख्शीश व अंसारी एम0एम0 : स्टडीज इनडिस्टैन्स एजूकेशन नई दिल्ली एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज 1988
2. कौल लोकेश : मेथडोलॉजी ऑफ एजूकेशनल रिसर्च, न्यू देहली विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा0लि0,1984
3. जिलफोर्ड जे0पी0 : फाण्डामेंटल आफ स्टेस्टिक्स इन

साइकोलॉजी एण्ड एजूकेशन न्यूयार्क मैक ग्राहिल बुक कम्पनी, 1965

4. गुडे डब्लू0जे एण्ड हैट व पी0के0 : मेथड्स ऑफ रिसर्च न्यूयार्क मिकग्राहिल, 1962

5. ग्रोवर वी0एल0 : आधुनिक भारत का इतिहास–एक नवीन मूल्यांकन नई दिल्ली एस0चाँन्द एण्ड कम्पनी रामनगर, 1990

6. गैरेट एच0ई0 : स्टेटिस्टिक्स इन सायकोलॉजी एण्ड एजूकेशन बम्बई, वैकित्स फीफर एण्ड सीमंस प्रा0लि0 1969

7. चौबे अखिलेश एवं चौबे सरयू प्रसाद : भारत की आधुनिक शिक्षा का इतिहास और समस्याऐं, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 2007

8. जायसवाल सीताराम : भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं भारतीय शिक्षा की समस्याऐं, लखनऊ प्रकाशन केन्द्र पब्लिशर्स, 2006

9. जोशी के0एल0 : प्राब्लम्स ऑफ हायर एजूकेशन इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन 1977

10. नायक जे0पी0 तथा नरूल्ला सैयद : भारतीय शिक्षा का इतिहास, नई दिल्ली मैकमिलन, 1976

11. नरूल्ला एण्ड नायक : हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया डियुरिंग द ब्रिटिश पीरियड, 1956

12. पाठक पी0डी0 : शिक्षा मनोविज्ञान, आगरा श्री विनोद पुस्तक मंदिर, 2010

13. पाण्डेय बी0वी0 व पाण्डेय ए0के0 : भारतीय शिक्षा का इतिहास और सामाजिक समस्याऐं, गौरखपुर, वंसुधरा प्रकाशन, 2004

14. पाण्डेय रामशंकर : शिक्षा, समीक्षा इलाहाबाद प्रयाग पुस्तक भवन 1975

15. पाण्डेय रामसकल व सिंह रामपाल तथा आर्य जयदेव : भारतीय शिक्षा की समस्याऐं आगरा लक्ष्मी नारायण अग्रवाल 1977

16. पाण्डेय रामसकल : नेशनल पॉलिसी ऑन एजूकेशन इंडिया इलाहाबाद छोटा इंजन पब्लिशर्स 1992